



2026:AHC-LKO:12427-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 1568 सन 2026

सुखलाल

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव शहरी विकास लखनऊ
एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अनुरुद्ध कुमार सिंह, शैलेन्द्र सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रत्नेश चन्द्रा

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को, श्री अनघ शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता को जिन्होंने लखनऊ विकास की ओर से अपना 'वकालतनामा' दाखिल कर उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है, तथा विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना गया।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य राहत(ओं) की मांग की है:-

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश, प्रतिवादियों को भदेवा गांव, तहसील एवं जिला लखनऊ में स्थित भूखंड संख्या 163 और 178 पर याचिकाकर्ता के कब्जे और स्वामित्व को परेशान न करने का आदेश देने के लिए जारी किया जाए और न्याय के हित में याचिकाकर्ता के स्वामित्व और कब्जे को मान्यता दी जाए।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. इस रिट याचिका में मांगी गई राहत संख्या 1 के दूसरे भाग पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही इसे प्रदान किया जा सकता है। हालांकि, पहले भाग पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते तथ्यों के संबंध में कोई विवादित प्रश्न न हों।

4. इस रिट याचिका को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत उठाते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, यदि कोई कारण हो और बशर्ते याचिकाकर्ता का लखनऊ तहसील और जिले के भादेवा गांव में स्थित प्लॉट संख्या 163 और 178 के संबंध में कोई अधिकार और हित हो। प्रतिवादी संख्या 2 इस पर विचार करेगी और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार आवश्यक निर्णय लेगी।

5. याचिका का निस्तारण उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

6. हमारा आदेश उक्त भूमि के संबंध में किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकारों पर या किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष लंबित किसी भी विवाद या कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

फ़रवरी 17, 2026

प्रवीण

[न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।